

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी / सचिव

संचालन प्रबंधन समिति, उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिला-मुंगेली(छ0ग0)

क्रमांक /सेजेस/संविदा नियुक्ति/विज्ञापन/2023/10476

मुंगेली, दिनांक : 29/09/2023

-:: संविदा (अंग्रेजी माध्यम) भर्ती हेतु विज्ञापन ::-

मुंगेली जिले में संचालित 1 नवीन एवं 06 पूर्व से संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम के विभिन्न शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक के नवीन एवं बैकलॉग रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु योग्यताधारी आवेदकों से ऑनलाईन गूगल लिंक से आवेदन पत्र दिनांक 06/10/2023 तक आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित तिथि/समय के पश्चात आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन केवल ऑनलाईन स्वीकार किये जाएंगे अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

शालावार पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	संस्था का नाम	पदनाम	विषय	रिक्त पदों की संख्या				संविदा हेतु एकमुश्त मासिक मानदेय राशि	रिमांक
				अ.ज. जा.	अ. जा.	अ.पि. व.	अन्ना.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय दाऊपारा, मुंगेली	शिक्षक	-	0	0	0	3	35400/-	बैकलॉग
2	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पथरिया	व्याख्याता	अंग्रेजी	0	0	0	1	38100/-	बैकलॉग
		व्याख्याता	जीवविज्ञान	0	0	0	1	38100/-	बैकलॉग
		शिक्षक	=	0	0	0	3	35400/-	बैकलॉग
		सहायक शिक्षक	-	0	1	0	1	25300/-	बैकलॉग
3	महंत जगन्नाथ दास उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय लोरमी	सहायक शिक्षक विज्ञान	जीवविज्ञान	0	0	0	1	25300/-	बैकलॉग
		प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला)	-	0	0	0	1	35400/-	बैकलॉग
4	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय लालपुर थाना	व्याख्याता	भौतिक	0	0	0	1	38100/-	बैकलॉग
		व्याख्याता	वाणिज्य	0	0	0	1	38100/-	बैकलॉग
		शिक्षक	-	0	0	0	1	35400/-	बैकलॉग
		शिक्षक कम्प्यूटर	-	0	0	0	1	35400/-	बैकलॉग
		सहायक शिक्षक	-	1	0	0	2	25300/-	बैकलॉग
		सहायक शिक्षक विज्ञान	-	0	1	0	0	25300/-	बैकलॉग
		ग्रंथपाल	-	0	0	0	1	22400/-	बैकलॉग

5	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सरगांव	व्याख्याता	हिन्दी	0	0	0	1	38100/-	वैकलीग
		व्याख्याता	भौतिक	0	0	0	1	38100/-	वैकलीग
		व्याख्याता	वाणिज्य	1	0	0	1	38100/-	वैकलीग
		शिक्षक	-	0	0	0	1	35400/-	वैकलीग
		सहायक शिक्षक	-	1	0	1	1	25300/-	वैकलीग
		सहायक शिक्षक विज्ञान	-	0	1	0	0	25300/-	वैकलीग
		ग्रंथपाल	-	0	0	0	1	22400/-	वैकलीग
6	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मोतिमपुर (अमरटापू)	व्याख्याता	रसायन	0	0	0	1	38100/-	वैकलीग
		व्याख्याता	वाणिज्य	1	0	0	0	38100/-	वैकलीग
		शिक्षक	-	0	0	0	2	35400/-	वैकलीग
		सहायक शिक्षक	-	0	1	1	2	38100/-	वैकलीग
		सहायक शिक्षक विज्ञान	-	1	0	0	0	25300/-	वैकलीग
		ग्रंथपाल	-	0	0	0	1	22400/-	वैकलीग
7	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जरहागांव	व्याख्याता	हिन्दी	0	0	0	1	38100/-	
		व्याख्याता	संस्कृत	0	0	0	1	38100/-	
		व्याख्याता	अंग्रेजी	0	0	0	1	38100/-	
		व्याख्याता	गणित	0	0	0	1	38100/-	
		व्याख्याता	सामाजिक विज्ञान	0	0	0	1	38100/-	
		व्याख्याता	जीवविज्ञान	0	0	0	1	38100/-	
		व्याख्याता	भौतिक	0	0	0	1	38100/-	
		व्याख्याता	रसायन	0	0	0	1	38100/-	
		व्याख्याता	वाणिज्य	1	0	0	1	38100/-	
		शिक्षक	-	1	1	1	1	35400/-	
		शिक्षक कम्प्यूटर	-	0	0	0	1	35400/-	
		व्यायाम शिक्षक	-	0	0	0	1	35400/-	
		सहायक शिक्षक	-	1	1	1	2	25300/-	
		सहायक शिक्षक विज्ञान	-	1	1	0	0	25300/-	
ग्रंथपाल	-	0	0	0	1	22400/-			

व्याख्याता (अंग्रेजी माध्यम) संविदा भर्ती हेतु :-

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से द्वितीय श्रेणी में निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय में स्नात्कोत्तर/समक्षक एवं बी.एड.

क्र.	विषय	विषय समूह
1	हिन्दी	हिन्दी

2	संस्कृत	संस्कृत/क्लासिकल/आचार्य
3	अंग्रेजी	अंग्रेजी
4	गणित	गणित/एप्लाइड गणित
5	सामाजिक विज्ञान	अर्थशास्त्र/एप्लाइड अर्थशास्त्र/बिजनेस अर्थशास्त्र/राजनीति विज्ञान/लोक प्रशासन/भूगोल/इतिहास/प्राचीन भारतीय इतिहास
6	जीवविज्ञान	वनस्पति शास्त्र/प्राणी शास्त्र/लाइफ साइन्स/जैविकी/अनुवांशिकी (जेनेटिक्स/सूक्ष्म जैविकी(माइक्रोबायोलॉजी)/जैव प्रौद्योगिकी(बायोटेक्नॉलाजी)/आणविक जीव विज्ञान(मालिकुलर बायोलॉजी)/पादप कार्यिकी(प्लान्ट फिजियोलॉजी) तथा स्नातक स्तर में प्राणीशास्त्र अथवा वनस्पति शास्त्र विषय रहा हो।
7	भौतिकी	भौतिकी इलेक्ट्रॉनिक्स/एप्लाइड भौतिकी/न्यूक्लियर भौतिकी
8	रसायन	रसायन/बायोकेमेस्ट्री
9	वाणिज्य	एकाउन्टेसी सहित वाणिज्य/कास्ट एकाउंटिंग/फाइनेन्सियल एकाउन्टेसी मुख्य विषय के रूप में रहा हो।

शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) संविदा भर्ती हेतु :-

- (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण एवं
- (2) डी.एड. या बी.एड. या बी.एल.एड. उत्तीर्ण तथा
- (3) टी.ई.टी. उत्तीर्ण, (उच्च प्राथमिक स्तर)

शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम) संविदा भर्ती हेतु :-

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50: अंको के साथ बी.सी.ए., बी.एस.सी. (कम्प्यूटर साईंस), बी.एस.सी. (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी), बी.ई./बी.टेक (कम्प्यूटर साईंस), बी.ई./बी.टेक (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी)

व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) संविदा भर्ती हेतु :-

- (1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण तथा
- (2) डी.पी.एड. अथवा बी.पी.एड. सहित स्नातक

प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला (अंग्रेजी माध्यम) संविदा भर्ती हेतु :-

मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय के अंग्रेजी माध्यम में विद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक की उपाधि के साथ बी.एड. प्रशिक्षित होना अनिवार्य है।

सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) संविदा भर्ती हेतु :-

- (1) न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा एवं
- (2) डी.एड. या बी.एड. या बी.एल.एड. उत्तीर्ण तथा
- (3) टी.ई.टी. उत्तीर्ण, (प्राथमिक स्तर)

सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) संविदा भर्ती हेतु :-

जीव विज्ञान/गणित विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण हों।

ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम) संविदा भर्ती हेतु :-

(1) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण

तथा

(2) पुस्तकालय योजना का प्रमाण पत्र अथवा वैचलर ऑफ लाईवैरी साइंस (वी.लिव.) की उपाधि अनिवार्य है।

संविदा भर्ती हेतु महत्वपूर्ण निर्देश :-

- 1/ आवेदन कार्यालय के गूगल फार्म के माध्यम से दिनांक 06/10/2023 समय सायं 05:00 बजे तक करना होगा। गूगल फार्म के द्वारा किया गया आवेदन ही मान्य होगा। डॉक से प्राप्त आवेदन अमान्य है।
- 2/ विज्ञापित पद पूर्णतः स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन एवं प्रबंधन समिति के अधीन है। इन पदों पर नियुक्त व्यक्तियों द्वारा शासन के पद पर नियमितीकरण अथवा संविलियन का दावा नहीं किया जा सकेगा।
- 3/ उपरोक्त स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की समिति पृथक-पृथक है अतः पृथक-पृथक आरक्षण लागू होगा।
- 4/ संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।
- 5/ संविदा पदों पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। शासन/समिति के द्वारा नियुक्ति अथवा कार्य व्यवहार के आधार पर किसी भी समय सेवा से पदच्युत की जा सकती है।
- 6/ अभ्यर्थी को छ.ग. राज्य के मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- 7/ आवेदक सुनिश्चित करें कि उनकी कक्षा 10वीं एवं समस्त उच्चतर कक्षाएँ अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। व्याख्याता हिन्दी एवं संस्कृत के लिए अंग्रेजी माध्यम की अनिवार्यता नहीं होगी।
- 8/ अंग्रेजी माध्यम के पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलने पर हिन्दी माध्यम के अभ्यर्थी के प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जा सकता है।
- 9/ आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क रहेगी।
- 10/ आवेदक की उम्र 01 जनवरी 2023 को न्यूनतम 21 वर्ष पूरी कर ली हो तथा अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2023 की स्थिति में की जाएगी। उम्र में शासन के निर्धारित नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट का प्रावधान होगा। उम्र की पुष्टि हेतु 10वीं की अंकसूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगी। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए, उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगी। समस्त छूट को सम्मिलित करते हुए आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी चाहिए।
- 11/ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित संविदा भर्ती नियम एफ-9-01/2012/1-3 दिनांक 31 दिसम्बर 2012 एवं संशोधित दिनांक 30 दिसम्बर 2019 नियोक्ता एवं नियुक्त कर्मचारी के लिए लागू होगा।
- 12/ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित संविदा भर्ती नियम 2012 के तहत अधिसूचित अवकाश नियम नियुक्त संविदा कर्मचारी के लिये लागू होगा।
- 13/ संविदा भर्ती कर्मचारी छ.ग. शासन सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अधीन होंगे।

- 14/ संविदा कर्मचारी को संविदा अवधि में पेंशन, मृत्यु लाभ या अन्य कोई भी लाभ जो छ.ग. शासन के नियमित कर्मचारी को प्राप्त है, की पात्रता नहीं होगी।
- 15/ यह पद पूर्णतः अस्थायी होंगे। संविदा नियुक्ति की अवधि में नियोक्ता या नियुक्त अभ्यर्थी में से किसी भी पक्ष द्वारा 03 माह का वेतन या सेवा समाप्ति की पूर्व सूचना देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। शासकीय सेवा में समान पदों पर दावे की पात्रता नहीं होगी।
- 16/ विज्ञापित पदों की संख्या घटाई, बढ़ाई अथवा पर्याप्त कारण से विज्ञापन निरस्त भी किया जा सकता है।
- 17/ नियुक्ति हेतु चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
- 18/ अभ्यर्थी, किसी भी पद पर आवेदन के पूर्व अपनी पात्रता एवं आवेदित पद हेतु वांछित न्यूनतम अर्हता का परीक्षण स्वयं कर लेवें त्रुटिपूर्ण आवेदन, भ्रामक या गलत जानकारी के आधार पर अभ्यर्थी को भर्ती के किसी भी चरण में अपात्र घोषित किया जा सकता है। केवल आवेदन कर देने मात्र से ही अभ्यर्थी का आवेदित पद पर चयन का अधिकार नहीं होगा।
- 19/ अपूर्ण एवं त्रुटि पूर्ण आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे। अमान्य आवेदनों के संबंध में पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी।
- 20/ भविष्य में शासन के द्वारा उक्त पदों पर भर्ती किए जाने पर संविदा नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
- 21/ राज्य शासन द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय हेतु समय-समय पर जारी निर्देशों के अधीन पंजीकृत सोसायटी विद्यालय के संचालन व शर्तों से संबंधित नियम/निर्देश जारी करेगी जो सर्वमान्य व सभी के लिए बाध्यकारी होगा।
- 22/ अनुसूचित जाति/अनु.जन जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र सत्यापन के समय संलग्न करना आवश्यक है। प्रमाण पत्र के अभाव में आरक्षण का लाभ दिया जाना संभव नहीं होगा। आवश्यक होने पर प्रबंधन समिति प्रमाण पत्र की वैधता की जाँच करा सकता है।
- 23/ अनुसूचित जाति/अनु.जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रिमीलेयर को छोड़कर) के अभ्यर्थियों, महिला उम्मीदवारों, निःशक्तजन, शासकीय कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों एवं भूतपूर्व सैनिकों को छ0ग0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशों के अनुसार आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त होगा।
- 24/ नियोक्ता द्वारा संविदा पर नियुक्त समस्त अभ्यर्थियों के कार्य, व्यवहार, आचरण एवं कार्य पददर्शन का प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति में मूल्यांकन किया जावेगा एवं उपयुक्तता के आधार पर संविदा अवधि में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जा सकेगी।
- 25/ अभ्यर्थियों को समस्त शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों की मूल प्रति सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जावेगा तथा संबंधित अभ्यर्थी को साक्षात्कार/चयन हेतु अपात्र किया जा सकेगा।
- 26/ अभ्यर्थियों की चयन सूची प्रकाश दिनांक से 01 वर्ष हेतु मान्य होगी।
- 27/ आवेदक यह सुनिश्चित कर ले कि आवेदन के अंतिम तिथि के पूर्व समस्त न्यूनतम योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका हो।

चयन प्रक्रिया :-

- 1/ आवेदन एवं चयन प्रक्रिया तथा रिक्त पदों के आरक्षण के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि जिला मुंगेली हेतु स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु पृथक-पृथक मान संसाधन (शिक्षकीय/गैर शिक्षकीय) सेटअप प्रत्येक विद्यालय को पृथक-पृथक ईकाई मानकर स्वीकृत किया गया है, जिसपर नियुक्ति का अधिकार संबंधित विद्यालय की प्रबंधन एवं संचालन समिति को दिया गया है। चयन प्रक्रिया के सरलीकरण, श्रम एवं संसाधन की बचत, अभ्यर्थियों की सुविधा, पात्र एवं उत्कृष्ट अभ्यर्थियों को अधिकाधिक अवसर प्रदान करने की दृष्टि से ऑनलाईन आवेदन लिये जा रहे हैं।

- 2/ अनुभव हेतु न्यूनतम 02 वर्षों के अनुभव पर 4 अंक, 3 वर्षों पर 6 अंक, 4 वर्षों पर 8 अंक एवं 5 वर्षों अथवा उससे अधिक पर अधिकतम 10 अंक दिया जावेगा। शिक्षकीय कार्य हेतु अध्यापन अनुभव शासन द्वारा मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम संस्थाओं से होना अनिवार्य है।
- 3/ उक्त विज्ञापित पदों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अभ्यर्थियों को साक्षात्कार/कौशल परीक्षा में आमंत्रित करने हेतु व्यवसायिक योग्यता के प्राप्तांक को भारांश में शामिल नहीं किया जावेगा।
- 4/ उक्त शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय पदों पर भर्ती हेतु निम्नानुसार मापदण्डों का निर्धारण किया जावेगा -

क्र.	पदनाम	शैक्षणिक योग्यता का अंक भार					अनुभव	साक्षात्कार/प्रायोगिक/कौशल परीक्षा का अंक भार	कुल अंक भार
		8वीं	10वीं	12वीं	स्नातक	स्नातकोत्तर			
1	व्याख्याता	-	10%	15%	20%	30%	10 अंक	15 अंक	100%
2	शिक्षक	-	10%	20%	45%	-	10 अंक	15 अंक	100%
3	शिक्षक कम्प्यूटर	-	10%	20%	45%	-	10 अंक	15 अंक	100%
4	व्यायाम शिक्षक	-	10%	20%	45%	-	10 अंक	15 अंक	100%
5	सहायक शिक्षक	-	15%	60%	-	-	10 अंक	15 अंक	100%
6	सहायक शिक्षक विज्ञान	-	15%	60%	-	-	10 अंक	15 अंक	100%
7	ग्रंथपाल	-	25%	50%	-	-	10 अंक	15 अंक	100%

- 5/ प्रत्येक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अंको के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी।
- 6/ उक्त मेरिट सूची के आधार पर 01 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार/प्रायोगिक/कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
- 7/ कौशल परीक्षा/साक्षात्कार की विस्तृत जानकारी आवेदन पत्रों के परीक्षण उपरांत पृथक से जिल की वेबसाईट mungeli.gov.in पर अपलोड की जाएगी।
- 8/ एक पद के लिए साक्षात्कार एक ही बार लिया जाएगा।

नियुक्ति अवधि :-

- 1/ छत्तीसगढ़ सविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के नियम 4 (1) के अंतर्गत उल्लेखित संविदा नियुक्ति के पदों पर संविदा नियुक्ति तीन वर्ष की कालावधि के लिये की जावेगी। तथापि राज्य सरकार आवश्यकता के आधार पर तथा संविदा आधार पर नियुक्ति की उपयुक्तता तथा कर्मचारी की कार्यक्षमता का आंकलन करने के पश्चात् संविदा नियुक्ति की कालावधि बढ़ाया जा सकेगा जो कि शासन के आगामी निर्देश के अंतर्गत प्रतिबंधित होगा।
- 2/ संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा तीन माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में तीन माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। संविदा अवधि समाप्ति पर बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा समाप्त की जा सकेगी।

निरर्हताएँ :-

- 1/ अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी सांघनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्तकर्ता द्वारा चयन के लिये निरर्हित माना जा सकेगा।
- 2/ कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्ति नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में जो कि विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप में स्वस्थ तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो कि सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये। परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी का उसकी स्वास्थ्य परीक्षा से पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सकीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
- 3/ कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध या अन्य अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिये पात्र नहीं होगा। परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जाएगा, जब तक उस अपराधिक प्रकरण का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाये।


अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में नियुक्तकर्ता का निर्णय संबंधी :-

- 1/ चयन के लिये अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में नियुक्तकर्ता का विनिश्चय अंतिम होगा।
- 2/ चयन प्रक्रिया के किसी भी समय पर अथवा नियुक्तकर्ता को चयन सूची भेजने के बाद भी यदि नियुक्तकर्ता के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति नियुक्तकर्ता द्वारा बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

अन्य निर्देश :-

- 1/ नियुक्त उम्मीदवार को उनके पद के अनुसार शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार वेतन देय होगा।
- 2/ नियमानुसार संविदा भर्ती के उप नियम (2) के अंतर्गत उल्लेखित मामलों को छोड़कर संविदा सेवा में सिर्फ मासिक एकमुश्त राशि वेतन के रूप में देय होगी, इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा इत्यादि नहीं दिया जाएगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी।
- 3/ नियुक्ति पश्चात अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 30 दिवस के भीतर शासकीय मेडिकल बोर्ड फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 4/ जिले के वेबसाइट में आवेदन फार्म भरने के लिए निम्नानुसार 08 लिंक उपलब्ध है :-
 - (i) व्याख्याता पद के लिए।
 - (ii) शिक्षक पद के लिए।
 - (iii) शिक्षक कम्प्यूटर पद के लिए।
 - (iv) व्यायाम शिक्षक पद के लिए।
 - (v) प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला पद के लिए।
 - (vi) सहायक शिक्षक पद के लिए।
 - (vii) सहायक शिक्षक विज्ञान पद के लिए।
 - (viii) ग्रंथपाल पद के लिए।
- 5/ उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिये की जाने वाली चयन उपरान्त नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 019668/2022 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन होगी।
- 6/ आवेदन पत्र का प्रारूप एवं भर्ती संबंधी विस्तृत जानकारी मुंगेली जिले के वेबसाइट mungeli.gov.in पर उपलब्ध है।


- 7/ पात्र/अपात्र सूची, पात्र अभ्यर्थियों की मेरिट सूची, लिखित/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार की जानकारी एवं अन्य सूचना समय-समय पर जिले की वेबसाइट mungeli.gov.in में अपलोड की जावेगी। जिस हेतु पृथक से पत्र या सूचना नहीं भेजी जाएगी। नियमित अवलोकन करते रहें।
(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)



जिला शिक्षा अधिकारी/सचिव
संचालन प्रबंधन समिति
उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय
जिला-मुंगेली (छ.ग.)
मुंगेली, दिनांक : 29/09/2023

पृ.क्रमांक/सेजेस/संविदा नियुक्ति/विज्ञापन/2023/10477
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग. को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर छ.ग. को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. कलेक्टर एवं अध्यक्ष, संचालन प्रबंधन समिति, उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिला मुंगेली को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग विलासपुर को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मुंगेली को सादर सूचनार्थ।
6. सर्व संबंधित सदस्य, संचालन प्रबंधन समिति उत्कृष्ट विद्यालय जिला मुंगेली को सूचनार्थ।
7. सहायक संचालक जिला जनसंपर्क अधिकारी, जिला मुंगेली को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
8. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. मुंगेली को सूचनार्थ एवं उक्त विज्ञापन विस्तृत विवरण सहित जिले के वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
9. प्राचार्य, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिला मुंगेली को सूचनार्थ।



जिला शिक्षा अधिकारी/सचिव
संचालन प्रबंधन समिति
उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय
जिला-मुंगेली (छ.ग.)

जिला मुंगेली के बेबसाईट में आवेदन फार्म भरने के लिए निम्नानुसार 08 लिंक उपलब्ध है :-

(i) व्याख्याता पद के लिए।

<https://forms.gle/eTraTGzY9MiPjdN58>

(ii) शिक्षक पद के लिए।

<https://forms.gle/BYPSj7dv9z5BWYYf6>

(iii) शिक्षक कम्प्यूटर पद के लिए।

<https://forms.gle/5Xbpp33g86Az7XuV9>

(iv) व्यायाम शिक्षक पद के लिए।

<https://forms.gle/3NkaAWiDhE7WfXcC6>

(v) प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला पद के लिए।

<https://forms.gle/Nywe79TPiPNGAfwu6>

(vi) सहायक शिक्षक पद के लिए।


<https://forms.gle/sNak5WhxHZBiCptu9>

(vii) सहायक शिक्षक विज्ञान पद के लिए।

<https://forms.gle/pimbN1HCBGBDorLG6>

(viii) ग्रंथपाल पद के लिए।

<https://forms.gle/HjJKwx8LmBd2qucs9>


जिला शिक्षा अधिकारी/सचिव
संचालन प्रबंधन समिति
उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय
जिला-मुंगेली (छ.ग.)